समाचार–प्रकाशनार्थ :–

देवरा देवनारायण कालोनी के प्लाटो के संबंध में जाहिर सूचना का खण्डन

रतलाम 18 नवम्बर। देव नारायण धर्मराज (देवरा) ट्रस्ट राजगढ़ की सर्वे क्रमांक 95/1 की भूमि पर स्थित भुखण्डों के विक्रय किये जाने के संबंध में एडवोकेट श्री बी.एस. जोशी द्वारा 17 नवम्बर 2020 मंगलवार को दैनिक भास्कर समाचार–पत्र में प्रकाशित करायी गई जाहिर सूचना का नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा खण्डन किया गया है। जाहिर सुचना में जिन प्लाटों का विवरण दिया गया है वे समस्त प्लाट नगर पालिक निगम रतलाम की योजना क्रमांक 55 देवरा देवनारायण कालोनी के भूखण्ड है जिस पर उक्त ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है।

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा वर्ष 1991 मं ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया होकर निगम द्वारा कालोनी विकसित की गई है और भूखण्डों का आवंटन भी कर दिया गया है। समस्त प्लाट नगर पालिक निगम रतलाम के होकर योजना क्रमांक 55 की स्कीम के है। जिसमें से कुछ प्लाटों का लीज पट्‌टा भी प्रदान किया गया है तथा कुछ प्लाटों का आवंटन पूर्व में किया जा चुका है मात्र पंजीयन करवाया जाना शेष है। जाहिर सुचना में वर्णित प्लाटो पर ट्रस्ट का कोई कब्जा नहीं है तथा योजना क्रमांक 55 की भूमि का पंजीयन भी नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा यथाशीघ्र ट्रस्ट से करवा लिया जावेगा। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी भी प्रकार से जाहिर सूचना में वर्णित प्लाटो के बारे में विक्रय अंतरण आदि का व्यवहार उक्त ट्रस्ट से नहीं करें। खण्डन पश्चात यदि कोई विक्रय, अंतरण आदि व्यवहार किया गया तो उक्त व्यवहार नगर पालिक निगम रतलाम पर बंधनकारी नहीं रहेगा।

स्वच्छता हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है

कचरा मुक्त व सार्वजनिक स्थलों पर रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश

रतलाम 18 नवम्बर । स्वच्छता हमें और हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुन्दर बनाता है. स्वच्छता मनुष्य के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिन्दा रहने के लिए पानी होता है। जैसे भोजन, पानी ऑक्सीजन और अन्य चीजें हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है वैसे ही हमारे सस्वस्थ शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छता मानव समुदाय का एक अच्छा गुण होता है. यह विभिन्न प्रकार की बिमारियों से बचाओ के लिए सरलतम उपायों में से एक है.

सफाई के मामले में रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम– सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान, मेरी शान, स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर–1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में

ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मित्र समूह की रीना मालवीय, फातेमा शेख, नाजनीन, नसीम और जया शर्मा सहित इनकी टीम ने कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान आसपास के लोगों ने कहां है कि हम सभी के प्रयास रहेगे कि इस बार रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर–1 बना कर रहेगे।

इसके अलावा शहीद चौक, नाहरपुरा, कस्तुरबा नगर पद्मश्री की गली, जवाहर नगर अम्बेडकर भवन, जवाहर नगर गणेश मंदिर, सनसिटी गेट नम्बर 2, सज्जन मिल गेट पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाई गई।

मास्क नहीं लगाने पर 281 व्यक्तियों पर जुर्माना

28,100/– की राशि का किया जुर्माना

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगा 1,000/– का जुर्माना

रतलाम 18 नवम्बर। कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु शासन, कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा शहीद चौक क्षेत्र में 180, अलकापुरी चौराहा क्षेत्र में 50 व माणक चौक क्षेत्र में 51 व्यक्तियों द्वारा बगैर मास्क के घुमने पर 100–100 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में मास्क लगाने की समझाईश दी।

ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है को नगर निगम द्वारा रूपये 1,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम–1949 के अन्तर्गत कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

27 दिनों में 46 वॉल्व व 219 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 18 नवम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 18 नवम्बर तक 46 वॉल्व व 219 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

''रतलाम जलशक्ति अभियान'' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 18 नवम्बर बुधवार को गौशाला टंकी का मुख्य वॉल्व, राजेन्द्र नगर शुभम् स्कूल स्कूल के पास वाला वॉल्व व प्रताप नगर के 2 वॉल्व को दुरस्त करवाया गया।

इसके अलावा सागोद पुलिया पर खेतलपुर टंकी भरने वाली लाईन, कोमल नगर, कस्तुरबा नगर गली नम्बर 5, आनन्द कालोनी, गौशाला रोड, रामगढ़ आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने, कानवेंट स्कूल के सामने लीकेज को दुरस्त करवाये जाने के साथ ही मिल्लत नगर की पेयजल पाईप लाईन के चॉक को खुलवाया व जानीबाई धर्मशाला के पास ट्यूबवेल की मरम्मत की जाकर चालू करवाया गया।

वॉल्व, पाईप लाईन लीकेज व हैण्ड पम्प दुरस्त करने की कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

आज से डोंगरे नगर में लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 21,22,794/— संपत्तिकर व 4,62,840/— जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 18 नवम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीं, उद्योग–धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/– व जलकर 43,460/–, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/– व जलकर 43,830/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/– व जलकर 41,850/–, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/– व जलकर 1,06,050/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/– व जलकर 84,000/–, तिरूपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/– व जलकर 14,800/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/– व जलकर 18,430/–, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/– व जलकर 37,520/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/– व जलकर 41,200/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/– व जलकर 31,700 की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 21,22,794/– संपत्तिकर व 4,62,840/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 19 से 20 नवम्बर को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 23 से 24 नवम्बर को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 14, 15 व 48 के लिये 25 से 26 नवम्बर तक डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 48 के लिये 27 नवम्बर तक वेद व्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 28 नवम्बर व 1 दिसम्बर को दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 2 से 3 दिसम्बर तक बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 4 से 5 दिसम्बर तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 7 से 8 दिसम्बर तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिए 9 दिसम्बर को लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 10 से 11 दिसम्बर तक प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 14

दिसम्बर को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है। वार्डवार बकाया वसूली शिविर लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सहायक आयुक्त राजस्व श्रीमती नीता जैन को नियुक्त किया है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) से 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 254 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा
मवेशी पालकों को नोटिस जारी, तबेले व बाड़ो को शीघ्र तोड़ा जायेगा

रतलाम 18 नवम्बर । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 18 नवम्बर तक 254 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 18 नवम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 254 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 18 नवम्बर बुधवार को कस्तुरबा नगर पद्मश्री की गली व गोमदड़े की पुलिया से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/— वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/18 .11.2020/न.पा.निगम, रतलाम.